न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 179 / 2017

उनवान

1. धनराज पिता बद्री मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर , जिला भीलवाडा
2. रामदयाल पिता बद्री मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी रामसिंह मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
2. सोनाथ पिता गंगाराम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. सोजी पिता कालूराम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. रामराज पिता कालूराम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. शिमला देवी पत्नि रामराज मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. न्याली पत्नी रामदयाल मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 128 / 2014 निर्णय दिनांक 11.5.2017

अभिभाषक : 1. श्री नवरतन जोशी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आदेश

दिनांक 14.5.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर में आराजी खसरा संख्या 1937/1 रकबा 0.04 बीघा कृषि भूमि स्थित है। जिसकी खातेदार काश्तकार वादिया होकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2069 से 20272 में वादिया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। उक्त जमीन पर प्रतिवादीगण एवं इनके पारिवार वाले दादागिरी के बल पर वादिया के कब्जेकाश्त में बाधा डालते हैं व गाली गलोच कर धमकियॉ देते हैं व वादिया की कृषि भूमि पर अतिक्रमण की धमकिया देते हैं व कहते है कि यह प्रतिवादीगण की है। वादिया ने पत्थरगढ की आदेश प्राप्त कर दिनांक 21.5.2014 को वादिया की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाकर चारों कोनों पर पत्थर गढवाये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा पत्थरगढी के पत्थरों को उखाड कर फेंक दिया गया । पत्थरगढी के पर्चा मौका बनाया गया। जिसके अनुसार नक्शे में करीब 2 बिस्वा कृषि भूमि पर कब्जाकर वादिया को बेदखल कर दिया है। इसलिए वादिया अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण को बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द भी किया जावे कि वे वादिया के कब्जेकाश्त की वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम कुराडिया तहसील जहाजपुर की आराजी खसरा नम्बर 1937/1 रकबा 0.04 बीघा कृषि भूमि स्थित है जो वादिया की खातेदारी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण एवं उनके परिवार वाले दादागिरी के बल पर वादिया के कब्जेकाश्त में बाधा डालते हैं। गाली गलोच करते है व धमकियॉ देते हैं व वादिया की कृषि जमीन पर अतिक्रमण करने की धमकियॉ देते हैं। वादिया न पत्थरगढी का आदेश प्राप्त कर दिनांक 21.5.2014 को वादिया के खातेदारी की कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाकर चारों कोनो पर पत्थर गढवाये जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने उखाडकर फेंक दिये। पत्थरगढी के पर्चा मौका में बिन्दु 1 व 2 लगभग 2 बिस्वा भूमि पर जबर कब्जा कर लिया एवं वादिया को बेदखल कर दिया । जिसका कब्जा पुनः दिलाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादिया की कब्जेसुदा आराजी में दखलन्दाजी नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पंजिबद्ध किया गया परन्तु अपीलार्थी संख्या 1 पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस/सम्मन की प्रोपर तामिल नहीं हुई । अपीलार्थी संख्या 1 धनराज राजकीय कर्मचारी होकर बाहर रहता है। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेण्ट की जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण अपनी भूमि पर ही काबिज है। जो पर्चा मौका बनाया गया है वह भी अपीलार्थीगण की मौजूदगी में नहीं बनाया गया है। मौका पर्चा बनाये जाने से पूर्व न तो अपीलार्थीगण को सूचित किया गया एवं न ही किसी इस बाबत कोई नोटिस ही जारी किये गये थे। स्थाई चिन्हों से भूमि की नपती भी नहीं की गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी/वादिया ने लाडॉ पत्नी बद्री मीणा को पक्षकार संयोजित नहीं किया जबकि लाडॉ उक्त वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार थी। न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करा ली । जो कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/वादिया जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत तौर पर अपीलार्थीगण की भूमि हडपना चाहती है। जिस पर अपीलार्थीगण धनराज, लाडॉ, रामदयाल, ने उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के यहॉ एक वाद प्रस्तुत किया है जिसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 205/2014 पंजिबद्ध है। जिसमें प्रत्यर्थी/वादिया को दिनांक 31.7.32017 को लाडॉ, रामदयाल, धनराज के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करने बाबत प्रत्यर्थी/वादिया उसके पति व पुत्र को पाबन्द भी किया हुआ है। अपीलार्थीगण अपनी पुश्तैनी आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर काबिज है उनका पुराना कब्जा है। अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता ने समय पर सूचना नहीं दी जिससे अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके एवं अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 ने प्रत्यर्थी संख्या1/वादिया के खाते की भूमि पर जबरन कब्जा किया था। जिस पर पत्थरगढी कराई गई। उक्त पत्थरगढी के पर्चा मौका में 2 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा पाया गया । उक्त पत्थरगढी को अपीलार्थीगण चेलेंज नहीं किया है। पत्थरगढी की मौका रिपोर्ट पर भी अपीलार्थीगण द्वारा एतराज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनाक 23.8.2016 के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। उसके उपरान्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रत्यर्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी नम्बर 1937/1 रकबा 0.04 बीघा कृषि भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने का कथन अंकित करते हुए कब्जा पुनः दिलाये जाने का निवेदन किया । वादग्रस्त आराजी बाबत पत्थरगढी की गई एवं पत्थरगढी के दौरान जो पर्चा मौका दिनांक 21.5.2014 को बनाया गया उसमें वादग्रस्त आराजी में 2 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण पाया गया था। अपीलार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या1/वादिया की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया है वे अपनी ही भूमि पर काबिज है। अपीलार्थीगण ने पत्थरगढी को चेलेंज नहीं किया है एवं पत्थरगढी के दौरान बनाये गये पर्चा मौका पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण पाया गया है। पत्थरगढी के मौका पर्चा में अंकन है कि प्रतिवादी का पुत्र रामदयाल उपस्थित, हस्ताक्षर करने से मना किया। अतः अब अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला, सही नहीं है। मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिवत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर कब्जा पुनः प्रत्यर्थी संख्या 1/वादिया को दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या1/वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर अपीलार्थीगण का जबरन कब्जा किया जाना पाया गया है। उक्त कब्जा प्राप्त करने की वादिया अधिकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। अपीलार्थीगण का कथन है कि उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें सूचित नहीं किया गया था। अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अपीलार्थीगण को स्वयं अपने अधिववता के सम्पर्क में रहकर वाद में चल रही कार्यवाही की जानकारी लेनी चाहिये थी। अपीलार्थीगण एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध दिनाक 28.2.2017 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। जो विधिसम्मत है। पत्थरगढी रिपोर्ट दिनांक 21.5.2014 में अपीलाण्ट का कब्जा पाया गया है। जिसका कोई आधार/स्पष्टीकरण अपीलाण्ट के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र पुश्तैनी भूमि व पुराना कब्जा होने के आधार पर अपीलाण्ट के प्रत्यर्थी रामप्यारी की भूमि पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। जहाँ तक लाडॉ पक्षकार नहीं बनाने की बात है , उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मौका रिपोर्ट दिनांक 21.5.2014 में लाडॉ का अनाधिकृत कब्जा नहीं पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

9. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.5.2017 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 14.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

14/5/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 179 / 2017

उनवान

1. धनराज पिता बद्री मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर , जिला भीलवाडा
2. रामदयाल पिता बद्री मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी रामसिंह मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
2. सोनाथ पिता गंगाराम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. सोजी पिता कालूराम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. रामराज पिता कालूराम मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. शिमला देवी पत्नि रामराज मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
6. न्याली पत्नी रामदयाल मीणा निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 128 / 2014 निर्णय दिनांक 11.5.2017

अभिभाषक : 1. श्री नवरतन जोशी , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 179 / 2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 14.5.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री नषरतन जोशी वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री मनीष कांटिया की उपस्थिति मे दिनांक 14.5.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.5.2017 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 14.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस